कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,उत्तर बस्तर कांकेर

Phone / Fax NO. 07868-241313, Email : cg.dco.kanker@gmail.com

क्रमांक / अनुमति / मान्यता / 2026–27 / 3526 /कांकेर, दिनांक 14/07/2026

प्रति,

प्रबंधक,
जे. पी. इंटरनेशनल स्कूल संरगपाल ,कांकेर
विकासखण्ड–कांकेर

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का नियम 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए अनुमति / मान्यता प्रमाण–पत्र।**

जे.पी. इंटरनेशनल स्कूल सरंगपाल ,कांकेर (अंग्रेजी माध्यम) (यूडाईस कोड– 22143210405) विकासखण्ड–कांकेर को सीबीएसई पाठ्यक्रम हेतु कक्षा नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक शिक्षा सत्र 2026–27 में 01 सत्र कालावधि के लिए, प्रस्तुत दस्तावेज तथा संलग्न परिशिष्ट में निहित जानकारी अनुसार मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो की पूर्ति की अध्यधीन होगी :–

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा से आगे की मान्यता / संबध्दता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के उपबंधो का पालन करेगा।
3. स्कूल अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के लिए बालकों को RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत् विद्यालय के प्रारंभिक कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिषत प्रवेश देगा। उस दशा में स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो उसमें उसमें प्रवेशित बालकों को उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते की जहॉ स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि. स्कूल) शिक्षा देता है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि. स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगें।
4. पैरा 3 में निर्दीष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी / स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनायेगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा–
   (क) आयु के सबूत के अभाव में,
   (ख) यदि प्रवेश के लिए विहीत की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् प्रवेश चाहा गया है,
   (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि–

(1) किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा,
(2) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा,
(3) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी,
(4) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा,
(5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार,
(6) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेगें।
(7) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।

Scanned with OKEN Scanner

(8) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

8. विद्यालय उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे।
    अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार है –
    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 14500 वर्गमीटर ।
    कुल निर्माण का क्षेत्रफल– 12987.9 वर्गमीटर ।
    खेल के मैदान का क्षेत्रफल– 3750 वर्गमीटर । ।
    अध्यापन कक्षाओं की संख्या– 57
    प्रधानपाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष– 03
    बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– हाँ
    पेयजल सुविधा–हाँ
    बाधारहित पहुँच– हाँ
    शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकुद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता– हाँ
11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860(1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
15. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आंबटित मान्यता कोड नम्बर 36/2026 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।
17. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए।
19. यदि विद्यालय/संस्था के द्वारा किसी भी प्रकार से गलत जानकारी दिया या छिपाया जाता है और जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है तो नियमानुसार मान्यता किसी भी समय समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
20. अन्य शर्तें एनेक्सर के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ.क्रमांक/अनुमति/मान्यता/2026–27/ 3527
/कांकेर, दिनांक 14/07/2026

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
2. संबंधित सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी,(नोडल RTE) को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर

Scanned with OKEN Scanner